भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2756

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

प्रारूप यूजीसी विनियम, 2025

2756 **श्री मोहम्मद नदीमुल हक़**:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं) विनियम, 2025 से राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय शासी निकायों की भूमिका कम हो सकती है, जिससे समवर्ती सूची के अंतर्गत संघीय संतुलन प्रभावित होने की संभावना है; और

(ख) क्या विनियमों के प्रारूप में बिना किसी पूर्व शैक्षणिक अनुभव के कुलपतियों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है और, यदि हां, तो इस प्रकार का प्रावधान प्रस्तावित किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है तथा संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं। भारत के संविधान की अनुसूची VII की प्रविष्टि 66 सूची I के अनुसार, "उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण" के लिए कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 26 (1) (ङ) यूजीसी को 'उन अर्हताओं को परिनिश्चित करना जो विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द में नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति से, विद्या की उस शाखा को ध्यान में रखते हुए जिसमें उस व्यक्ति द्वारा शिक्षण दिया जाना प्रत्याशित है, सामान्यतया अपेक्षित है' योग्यताओं को परिभाषित करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 26 (1) (छ) यूजीसी को 'विश्वविद्यालय में स्तरमानों के बनाए रखने को और काम या सुविधाओं की एकसूत्रता को विनियमित करना' वाले नियम बनाने का अधिकार देती है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम, 2025 का मसौदा दिनांक 6 जनवरी 2025 को यूजीसी

की वेबसाइट पर रखा गया था। इसके अलावा, यूजीसी ने सभी राज्यों के प्रधान सचिवों, उच्चतर शिक्षा विभागों; सभी राज्यों की उच्च शिक्षा परिषद; सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के कार्यालय; आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईएससी; और अन्य विनियामक निकायों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व हितधारकों के व्यापक इनपुट प्राप्त करने के लिए परामर्श जारी रखने का निर्णय लिया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित सहित प्रस्तावित प्रावधानों पर व्यक्त किए गए सभी विविध विचारों को विनियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है।
